चित्रकूट-पुलिस

(1). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे “मिशन शक्ति अभियान-4” के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/‘‘शक्ति दीदी’’ द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

“मिशन शक्ति अभियान-4” व ‘‘शक्ति दीदी’’ अभियान के तहत आज दिनांक 01.01.2026 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया । महिलाओं/बालिकाओँ को “मिशन शक्ति” व ‘‘शक्ति दीदी’’ के सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई । इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है । इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया । इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित “एंटी रोमियो स्क्वायड” टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की।

(2). आज दिनांक 03.01.2026 को पुलिस उपमहानिरीक्षक परिक्षेत्र बांदा श्री राजेश एस0 द्वारा पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह एवं पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री सत्यपाल सिंह की उपस्थिति में पौष पूर्णिमा पर्व के व्यवस्थाओं को लेकर तीर्थ क्षेत्र रामघाट का भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। निरीक्षण के दौरान मेला में लगे सभी अधिकारी/कर्मचारीगण को सतर्कता पूर्वक ड्यूटी करने एवं श्रद्धालुओं से विनम्रता पूर्वक व्यवहार करने हेतु बताया गया तथा घाटों पर लगे पुलिस बल को बताया गया कि गहरे पानी में जाने के लिए श्रद्धालुओं को रोके,जो नाव लगे है उनकी सहायता से तत्काल बचाव का कार्य करेंगें ।

भ्रमण के दौरान क्षेत्राधिकारी नगर श्री अरविन्द कुमार वर्मा,थानाध्यक्ष पहाड़ी श्री प्रवीण कुमार सिंह,थानाध्यक्ष बहिलपुरवा श्री सत्यमपति त्रिपाठी एवं पीआरओ प्रदीप पाल उपस्थित रहें।

(3). आज दिनाँक-03.01.2026 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री सत्यपाल सिंह के पर्यवेक्षण में प्रभारी एलआईयू श्री नागेन्द्र भूषण पाण्डेय के मार्गदर्शन में उ0नि0 एलआईयू शिवसागर तिवारी की उपस्थिति में पौष पूर्णिमा पर्व की सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत डॉग स्क्वॉयड, एलआईयू की संयुक्त टीम द्वारा रामघाट,निर्मोही अखाड़ा एवं मेला क्षेत्र सीतापुर में संदिग्ध वस्तुओं/व्यक्तियों की सघन चेकिंग की गई।

(4). एडीजी जोन प्रयागराज महोदय के आदेश के क्रम में पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री सत्यपाल सिंह एवं उपजिलाधिकारी मऊ श्री रामऋषि रमन द्वारा कुंभ मेला 2026 प्रयागराज के दृष्टिगत आने वाले श्रद्धालुओं की सुगम यातायात व्यवस्था व ठहराव के मद्देनजर बरगढ़ थाना क्षेत्र में वाहन पार्किंग स्थल का निरीक्षण कर सम्बन्धित को निर्देशित किया गया।
निरीक्षण के दौरान तहसीलदार मऊ श्री रामसुधार सिंह, प्रभारी निरीक्षक बरगढ़ श्री शिवआसरे मौजूद रहें।

प्रेस नोटः-चित्रकूट पुलिस
फर्जी सोलर पैनल लगवाने,अज्ञात एपीके फाइल एवं फर्जी इन्वेस्टमेन्ट से पीड़ित 07 व्यक्तियों के 01 लाख 78 हजार 297 रुपये कराये गये वापस

वर्तमान में बढ़ते साइबर अपराध को रोकने व आमजनमानस को इससे राहत दिलाने के उद्देश्य के तहत चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक जनपद चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में साइबर अपराध पीड़ितों को रोकथाम हेतु किये जा रहे प्रयासों के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री सत्यपाल सिंह पर्यवेक्षण में साइबर सेल प्रभारी, निरीक्षक श्री विनोद कुमार राय तथा उनकी टीम द्वारा लगातार सार्थक प्रयास करते हुये माह अगस्त में कुल 07 साइबर अपराध पीड़ित व्यक्तियों के कुल 01 लाख 78 हजार 297 रुपये अथक परिश्रम कर उनके खातों में वापस कराये गये हैं।

उल्लेखनीय है साइबर अपराध मे पीडित 07 व्यक्तियों के साथ ऑनलाइन शेयर ट्रेडिंग के नाम पर 01 लाख 78 हजार 297 रुपये की ठगी की गयी थी जिनके द्वारा साइबर सेल चित्रकूट में शिकायत की गयी साइबर सेल में नियुक्त साइबर सेल प्रभारी निरीक्षक श्री विनोद कुमार राय, आरक्षी सर्वेश कुमार, आरक्षी प्रशांत कुमार द्वारा अथक प्रयास करके कुल 07 पीडितों का 01 लाख 78 हजार 297 रुपया बरामद कराया गया।

आमजनमानस को साइबर अपराधों के प्रति जागरूक करने हेतु सूचित किया जाता है कि वर्तमान समय में साइबर अपराधियों द्वारा विभिन्न टेलीग्राम/व्हाट्सएप ग्रुपो के माध्यम से हानिकारक APK फाइल डाउनलोड कराने का प्रयास किया जा रहा है । दुर्भावनापूर्ण रचित APK के निम्न प्रकार हो सकते है- RTO चालान,M परिवहन,YONO SBI etc. ये फाइलें एक मोबाइल वायरस (मेलवेयर) जिसे आपके द्वारा इन्स्टॉल करने पर आपके मोबाइल का सारा डेटा (फोटो,कान्टेक्ट,मैसेज,ओटीपी व अन्य महत्वपूर्ण जानकारी) चोरी हो सकता है। उसके बचाव के कुछ महत्वपूर्ण बिन्दू दिये जा रहे है-

1.फोन पर कभी भी किसी प्रकार के लुभावने ऑफर प्राप्त होने पर आप कभी किसी को अपने बैंक, खाता, एटीएम न0, ओटीपी सम्बन्धी जानकारी शेयर न करें।

2.किसी भी अनजान व्यक्ति के कहने पर फोन पर पैसे प्राप्त करनें के लिये यूपीआई पिन न डालना। यूपीआई पिन हमेशा पैसे भेजने के लिये प्रयोग होता है न कि प्राप्त करनें के लिये।

3.किसी भी अनजान लिंक/ वेबसाइट को ओपन करने पर आपकी पर्सनल जानकारी फ्राडर तक साझा हो जाती है, इससे बचें।

4.ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से खरीददारी हेतु पूर्व भुगतान करते समय क्विक सपोर्ट/टीम व्यूवर/कस्टमर सपोर्ट आदि एप का इस्तेमाल करने से आपके हैण्डसेट की स्क्रीन शेयरिंग हो जाती है, उक्त एप्स के इस्टालेशन से बचें।

5.अज्ञात कॉलर द्वारा विभिन्न सरकारी योजनाओ व कालोनी स्वीकृत किये जाने के नाम पर भी पैसों की मांग करने पर पैसे न भेजें एवं तत्काल नजदीकी थाने पर शिकायत करें)।

6.साइबर एक्सटार्शन (न्यूड वीडियो क्लिप भेजकर/धमकी भरे हमले को रोकने के लिये पैसे की मांग करने पर पैसे न भेजें एवं तत्काल नजदीकी थाने पर शिकायत करें)।

7.आपके किसी परिचित को एक्सीडेन्ट/बीमार दिखाकर ईलाज हेतु आँन-लाइन पैसे की मांग करने पर पैसे न भेजें एवं तत्काल नजदीकी थाने पर शिकायत करें)।

8.सोशल मीडिया पर सस्ते दामों पर सामान बेंचने के नाम पर ठगी(फिसिंग) करतें हैं सामान अधिकृत विक्रेता/दुकान से ही खरीदें किसी को एडवान्स पैसा न भेजें।

9.अज्ञात नम्बरों से हूबहू आपके परिचितों की आवाज में पैसे आदि की डिमाण्ड करने पर अपने उस परिचित से पुष्टि करने के उपरान्त ही पैसे भेंजे।

10.घर बैठे रोजगार (पेन्सिल कारोबार, वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइबर बढाये जाने का कार्य) पाने के नाम पर ठगी/पैसे की मांग करनें पर पैसे न भेंजें ।

नोट-किसी भी प्रकार का साइबर फ्राड होने पर हेल्पलाइन नं0 1930 पर तुरंत क़ॉल करें या www.cybercrime.gov.in पर कम्पलेंट रजिस्टर करें या अपनें थाना के साइबर हेल्प डेस्क / जनपदीय साइबर सेल को तत्काल सूचना दें।